

केंद्रीय बजट 2020-21 का आकलन*

केंद्रीय बजट 2020-21 का उद्देश्य अल्पावधि, मध्यमावधि और दीर्घावधि उपायों के संयुक्त प्रयासों से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसे, राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए, वृद्धि के लिए प्रति-चक्रिय सहयोग प्रदान करने की जरूरत को लेकर संतुलन बनाए रखते हुए नाजुक स्थितियों से गुजरना पड़ा। केंद्रीय बजट 2020-21 में वृद्धि को बढ़ावा देने, कर संरचना को आसान बनाने, अनुपालन को सुलभ करने और मुकदमों को कम करने के उद्देश्य से कर परिवर्तन लाया गया। बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय में कटौती से भी बचा गया, जो प्रशंसनीय है।

परिचय

केंद्रीय बजट 2020-21 को, वृद्धि के लिए प्रति-चक्रिय सहयोग प्रदान करने और राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का पालन करने की दोहरी अनिवार्यता को लेकर संतुलन बनाए रखते हुए, नाजुक स्थितियों से गुजरना पड़ा। इसने एफआरबीएम एस्केप क्लॉज के भीतर कर संग्रह में कमी को देखते हुए व्यय की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करते हुए राजकोषीय विवेक का पालन किया। यह माना जाता है कि कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल उन्नयन, उद्योग, वाणिज्य, निवेश, आधारभूत संरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के आवंटन में वृद्धि मुख्य रूप से गैर-कर राजस्व और विनिवेश द्वारा वित्तपोषित है। इस पृष्ठभूमि में, आलेख के बाकी हिस्सों को सात खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II में सकल राजकोषीय घाटे और अंतर्निहित राजकोषीय अंकगणित पर चर्चा की गई है, जबकि खंड III में केंद्र सरकार के वित्त के प्राप्ति पक्ष की जांच की गई है। खंड IV सरकारी खर्चों से संबंधित है और खंड V सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। खंड VI सरकार की

* कौशिकी सिंह, सक्षम सूद, राहुल अग्रवाल और अंशुमान कमिला द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के समीर रंजन बेहरा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। डेटा के लिए अर्चना वर्मा का आभार। व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने विचार हैं और इन विचारों का उनकी संस्था से कोई संबंध नहीं है। सामान्य अस्वीकरण लागू होते हैं। केंद्रीय बजट 2019-20 पर पिछला लेख भारतीय रिजर्व बैंक के सितंबर 2019 बुलेटिन में प्रकाशित हुआ था।

बकाया देयताओं को दर्शाता है और खंड VII केंद्र से राज्यों में संसाधन के अंतरण का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। खंड VIII में निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गई हैं। अनुबंध 1 में बजट में निर्धारित विस्तृत क्षेत्रवार उपायों को सूचीबद्ध किया गया है।

II. राजकोषीय घाटा


2019-20 के लिए जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के बजटीय सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के मुकाबले, संशोधित अनुमान ने जीएफडी को जीडीपी¹ के 3.75 प्रतिशत पर रखा। संशोधित एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(3) के तहत प्रावधानों को लागू करते हुए, 2020-21 के लिए उपर्युक्त के समान ही लक्ष्य से अधिक अर्थात् जीडीपी से 0.5 प्रतिशत अधिक का बजट भी किया गया है² वर्ष 2019-20 में जीएफडी के खस्ताहाल के पीछे मुख्य कारण कर राजस्व में जीडीपी की तुलना में 1.1 प्रतिशत की गिरावट का होना था, वहीं गैर-कर राजस्व ने थोड़ी राहत प्रदान की। वर्ष 2020-21 के लिए एफआरबीएम लक्ष्य से अनुमानित विचलन, राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों के व्यय ट्रेजेवट्री को बनाए रखने की वजह से है, ताकि कर राजस्व को लेकर वास्तविकता के अधिक करीब स्तर का अनुमान लगाते हुए घरेलू आर्थिक गतिविधि को बढ़ाया जा सके (सारणी 1)।

केंद्रीय बजट और अंतर्निहित अंकगणित

वर्ष 2019-20 में सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर (बजटीय और संशोधित अनुमानों के बीच) में तेज गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2008-09 में देखे गए वैश्विक वित्तीय संकट की अपेक्षा कहीं ज्यादा थी (चार्ट 1)।

¹ किसी अमुक वर्ष के संदर्भ में जीडीपी के नवीनतम अनुमानों का उपयोग करने के सिद्धांत के आधार पर, हमने 2018-19 के लिए जीडीपी के पहले संशोधित अनुमानों और 2019-20 के लिए जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों का उपयोग किया है, जिसके कारण इन दो वर्षों के मामले में जीडीपी की तुलना में कुछ निश्चित अनुपात केंद्रीय बजट में प्रकाशित अनुपात से भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, केंद्रीय बजट में प्रयुक्त सांकेतिक जीडीपी (₹204.4 लाख करोड़) के पहले अग्रिम अनुमान के आधार पर, 2019-20 (आरई) के लिए जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.75 प्रतिशत है। हालांकि, दूसरे अग्रिम अनुमान (₹203.8 लाख करोड़) के आधार पर, जो बाद में जारी किए गए थे, 2019-20 (आरई) के लिए जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.76 प्रतिशत है।

² संशोधित एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(2) के तहत यथा निर्दिष्ट अनुसार, सकल राजकोषीय घाटे को विशिष्ट परिस्थितियों में, अर्थात्, राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि के पतन से कृषि उत्पादन और आय बुरी तरह से प्रभावित होने, अप्रत्याशित राजकोषीय प्रभाव के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार, तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में उसकी पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की गिरावट के आधार पर वर्ष में जीडीपी के अधिकतम डेढ़ प्रतिशत तक विचलित होने की अनुमति दी जा सकती है।
स्रोत: वित्त अधिनियम, 2018.



सारणी 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी का प्रतिशत)

| | 2018-19 | 2019-20 | | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|------------------|----------|---------|------|---------|---------|---------|
| | वास्तविक | बीई | आरई | बीई | अनुमान | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. राजकोषीय घाटा | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 2. राजस्व घाटा | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
| 3. प्राथमिक घाटा | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| 4. कर राजस्व | 11.0 | 11.7 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 10.7 |
| 5. गैर-कर राजस्व | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| 6. राजस्व व्यय | 10.6 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | - | - |
| 7. पूंजीगत व्यय | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | - | - |

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020-21.


जीडीपी वृद्धि में कमी जीएफडी-जीडीपी अनुपात को दो तरीके से प्रभावित कर सकती है : (i) जब कर राजस्व कम होने लगता है ऑटोमैटिक स्टेबलाइजर सक्रिय हो जाते हैं किंतु व्यय ट्रैजेक्ट्री को बनाए रखा जाता है, और इस प्रकार अंश (न्यूमरेटर) ऊपर चला जाता है; तथा (ii) जीडीपी में अनुमानित सांकेतिक वृद्धि से भी कम वृद्धि होने के चलते विभाजक (डिनामिनेटर) बजटीय की अपेक्षा कम है। इन दो प्रभावों के लिए समायोजन करने से चक्रिय रूप से समायोजित जीएफडी 3.5 प्रतिशत³ होता

³ फेडेलिनो एनलिसा, मार्क हॉर्टन, और अन्ना इवानोवा (2009), "कम्प्यूटिंग साइकिलिकली-एडजस्टेड बैलेंसेस एंड ऑटोमैटिक स्टेबलाइजर्स", तकनीकी नोट्स और मैनुअल, फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विसंबरा।

है, जो 2019-20 हेतु 3.75 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से 25 आधार अंक कम है, जिनमें से 12 आधार अंक डिनामिनेटर पर निम्नतर जीडीपी वृद्धि का सीधा प्रभाव पड़ने से है (चार्ट 2)।

जीएफडी का वियोजन

यह संभावना है कि राजस्व घाटे की वजह से 2020-21 में जीएफडी का लगभग 76.5 प्रतिशत पहले ही खाली हो जाएगा, जो 2018-19 और 2019-20 में हुए सुधार को पूरी तरह से कम



सारणी 2: जीएफडी का वियोजन

(प्रतिशत)

| | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 |
|--------------------|---------|----------|---------|----------|---------|------|---------|
| | बीई | वास्तविक | बीई | वास्तविक | बीई | आरई | बीई |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. राजस्व घाटा | 58.8 | 75.1 | 66.6 | 70.0 | 68.9 | 65.1 | 76.5 |
| 2. पूंजीगत परिव्यय | 49.4 | 41.5 | 44.6 | 43.0 | 44.2 | 41.9 | 47.8 |
| 3. शुद्ध उधार | 5.1 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.1 |
| 4. विनिवेश (घटाकर) | 13.3 | 16.9 | 12.8 | 14.6 | 14.9 | 8.5 | 26.4 |

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

कर देगा। फिर भी, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट में पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि होने का उल्लेख किया गया है, और संभावना है कि इसके वित्तपोषण के लिए मुख्यतः अधिक से अधिक विनिवेश किया जाएगा (सारणी 2)।

III. प्राप्ति

2019-20 हेतु संशोधित अनुमानों (आरई) के अनुसार कुल प्राप्ति, जिसमें शुद्ध कर एवं गैर-कर राजस्व के साथ-साथ गैर-कर पूंजीगत प्राप्ति आती हैं, जीडीपी का 9.5 प्रतिशत थीं, जो कम कर राजस्व (जीडीपी के 7.8 प्रतिशत के बजट अनुमानों (बीई) की अपेक्षा जीडीपी के 7.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान) प्राप्त होने की वजह से 9.9 प्रतिशत के बजटीय जीडीपी से कम है। गैर-कर राजस्व में अच्छी वृद्धि हुई और वह मामूली रूप से बीई से भी अधिक हुआ।

कर राजस्व

2020-21 में जीडीपी में सकल कर राजस्व का अनुपात बढ़कर 10.8 प्रतिशत (2019-20 में जीडीपी का 10.6 प्रतिशत) होने की उम्मीद की जाती है, जो व्यक्तिगत आय कर - मध्यम आय समूह के पक्ष में कर की दरों में समायोजन करने - एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सिवाय सभी कर श्रेणियों के लिए अधिक बजटीय उछाल की बदौलत है। विशेष रूप से, उत्पाद शुल्कों के सिवाय सभी करों के संबंध में उल्लिखित उछाल उनके रुझान के स्तरों (2011-18 के औसतों को लेकर) से भी अधिक हैं (सारणी 3)।

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर 2020-21 में 12.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है वहीं 2019-20 (आरई) में उसमें 2.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई (सारणी 4)। सभी आय समूहों में आय कर की दरों को युक्तिसंगत करने तथा अनुपालन को सरल बनाने की परिकल्पना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप

सारणी 3: कर उछाल

| | औसत कर उछाल (2010-11 से 2017-18) | 2018-19 | 2019-20 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. सकल कर राजस्व | 1.15 | 0.77 | 1.63 | 0.54 | 1.16 |
| 2. प्रत्यक्ष कर | 1.00 | 1.23 | 1.56 | 0.39 | 1.23 |
| (i) कॉर्पोरेशन कर | 0.84 | 1.48 | 1.38 | -1.07 | 1.12 |
| (ii) आय कर | 1.20 | 1.19 | 1.83 | 2.49 | 1.38 |
| 3. अप्रत्यक्ष कर | 1.37 | 0.27 | 1.72 | 0.70 | 1.08 |
| (i) जीएसटी | - | 2.87 | 1.25 | 0.71 | 1.24 |
| (ii) सीमा शुल्क | 0.47 | -0.79 | 2.88 | 0.82 | 1.01 |
| (iii) केंद्रीय उत्पाद | 1.17 | -0.97 | 2.61 | 0.93 | 0.74 |

टिप्पणी : '-' : लागू नहीं। कर उछाल को सांकेतिक जीडीपी में परिवर्तन की तुलना में कर राजस्व की प्रतिक्रियाशीलता के रूप में परिभाषित किया जाता है।

स्रोत : विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट के दस्तावेजों पर आधारित स्टाफ की गणनाएं।

₹40,000 करोड़ का राजस्व त्यागना होगा। इसके अलावा, लाभांश वितरण कर के हटाए जाने से ₹25,000 करोड़ की राजस्व हानि होगी। सरकारी खजाने को होने वाली इन हानियों की भरपाई अनुपालन में बढ़ोत्तरी से कर उछाल में होने वाले संभावित लाभ से की जाती है एवं साथ ही निवेश के लिए गंतव्य स्थान के रूप में भारत को ज्यादा आकर्षक बनाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स, विदेशी निवेश, विद्युत उत्पन्न करने वाली कंपनियों, सहकारी संस्थाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा किफ़ायती आवास के मामले में कर रियायतों से एक उज्ज्वल निवेश वातावरण पनपने की संभावना है (कर प्रस्तावों के विवरण के लिए अनुबंध। देखें)। इतना ही नहीं, एक सरल आय कर संरचना के होने से मध्यम वर्ग को अवश्य लाभ होगा। आय कर एवं कॉर्पोरेट कर की दरों (जैसा 2019 में पहले ही घोषणा की गई) के माध्यम से संयुक्त प्रोत्साहन जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत होता है।

सारणी 4: केंद्र सरकार का कर राजस्व

| | ₹ हजार करोड़ | | | | जीडीपी का प्रतिशत | | | वृद्धि दर (प्रतिशत) | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2018-19 | 2019-20 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) | 2019-20 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) | 2019-20 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. प्रत्यक्ष कर | 1136.6 | 1335.0 | 1170.0 | 1319.0 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 17.5 | 2.9 | 12.7 |
| जिसमें से : | | | | | | | | | | |
| i. आय कर | 461.5 | 556.2 | 547.0 | 625.0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 20.5 | 18.5 | 14.3 |
| ii. कॉर्पोरेशन कर | 663.6 | 766.0 | 610.5 | 681.0 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 15.4 | -8.0 | 11.5 |
| 2. अप्रत्यक्ष कर | 943.9 | 1126.2 | 993.4 | 1104.0 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 19.3 | 5.3 | 11.1 |
| जिसमें से : | | | | | | | | | | |
| i. जीएसटी | 581.6 | 663.3 | 612.3 | 690.5 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 14.1 | 5.3 | 12.8 |
| सीजीएसटी | 457.5 | 526.0 | 514.0 | 580.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 15.0 | 12.3 | 12.8 |
| आईजीएसटी | 28.9 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | - | - |
| मुआवजा उपकर | 95.1 | 109.3 | 98.3 | 110.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.0 | 3.4 | 12.4 |
| ii. सीमा शुल्क | 117.8 | 155.9 | 125.0 | 138.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 32.3 | 6.1 | 10.4 |
| iii. केंद्रीय उत्पाद | 232.0 | 300.0 | 248.0 | 267.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 29.3 | 6.9 | 7.7 |
| 3. सकल कर राजस्व (1+2) | 2080.5 | 2461.2 | 2163.4 | 2423.0 | 11.7 | 10.6 | 10.8 | 18.3 | 4.0 | 12.0 |

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

अप्रत्यक्ष कर

2019-20 (आरई) में अप्रत्यक्ष कर संग्रह के सभी घटकों में गिरावट होने की वजह से वह बजट अनुमानों की अपेक्षा ₹1.3 लाख करोड़ से कम रह गया। अप्रत्यक्ष कर 2020-21 में 11.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है और बजट में जीएसटी संग्रह ₹6.9 लाख करोड़ होना बताया गया है जो 12.8 प्रतिशत की वृद्धि बताता है। इस दरमियान जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने की बदौलत लगभग ₹1 लाख करोड़ का प्रोत्साहन उपलब्ध होने का अनुमान है। आगे, जीएसटी संबंधी बाधाओं को हटाने की दिशा में कदम उठाए जाने से जीएसटी संग्रह और मजबूत एवं कारगर होगा। सीमा शुल्क को लेकर

विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के अंतर्गत आयात की डम्पिंग, जो घरेलू उद्योग, खासकर श्रम-प्रधान एमएसएमई एवं मेक इन इंडिया के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को काबू में करने पर जोर दिया जा रहा है।


गैर कर राजस्व

गैर-कर राजस्व से प्राप्तियां 2020-21 में 11.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू बैंकों सहित) से होने वाले लाभांश और लाभ तथा आरबीआई से होने वाले अधिशेष अंतरण 2020-21 (बीई) में घटने का उल्लेख बजट में किया गया है, जो 2019-20 (आरई) के दौरान बजटीय राशि से 22.2 प्रतिशत अधिक थे (सारणी 5)।

सारणी 5: गैर-कर राजस्व

| | ₹ हजार करोड़ | | | | वृद्धि दर (प्रतिशत) | | | |
|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2018-19 | 2019-20 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) | 2018-19 | 2019-20 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| कुल गैर-कर राजस्व | 235.7 | 313.2 | 345.5 | 385.0 | 22.3 | 32.9 | 46.6 | 11.4 |
| जिसमें से | | | | | | | | |
| लाभांश और लाभ | 113.4 | 163.5 | 199.9 | 155.4 | 24.1 | 44.2 | 76.2 | -22.3 |
| पीएसई से | 43.1 | 57.5 | 48.3 | 65.7 | -7.4 | 33.5 | 12.1 | 36.2 |
| आरबीआई/बैंक/एफआई से | 70.4 | 106.0 | 151.6 | 89.6 | 56.9 | 50.7 | 115.5 | -40.9 |

स्रोत : विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट के दस्तावेज।



गैर-कर्ज पूंजीगत प्रामियां

विनिवेश का लक्ष्य 2020-21 (बीई) में ₹2.1 लाख करोड़ होना दर्शाया गया है जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। वर्ष 2019-20 (आरई) में, विनिवेश आय में ₹1.05 लाख करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 38 प्रतिशत की गिरावट आई है (चार्ट 3)। ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो, विनिवेश के संबंध में बजटीय लक्ष्यों की तुलना

में कमियां पिछले दस वर्षों में आठ बार देखने को मिली हैं, वहीं वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 अपवाद हैं। इसके अतिरिक्त, विनिवेश में एक्सचेंज ट्रेड फंड्स (ईटीएफ) के बढ़ते महत्व को महसूस करना उल्लेखनीय है (बॉक्स I)। वर्ष 2020-21 (बीई) में ऋणों और अग्रियों से होने वाली वसूली 2019-20 (आरई) की बनिस्बत 9.9 प्रतिशत से घटने का उल्लेख बजट में किया गया है।

बॉक्स I: एक्सचेंज ट्रेड फंड्स (ईटीएफ) के जरिए विनिवेश

ईटीएफ प्रतिभूतियों के समूह होते हैं, जिन्हें एक्सचेंज पर व्यक्तिगत स्टॉक की तरह खरीदा-बेचा जाता है। नियमित म्यूचुअल फंडों के विपरीत, ईटीएफ को किसी भी स्टॉक की तरह पूरे दिन खरीदा और बेचा जा सकता है। ईटीएफ आम तौर पर विभिन्न आस्ति वर्गों, जैसे कि सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड, पण्यों जिसमें कच्चा तेल और सोना शामिल है, यूरो या कैनेडियन डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर नज़र रखते हैं।

निवेशकों के लिए, ईटीएफ पसंदीदा निवेश अवसर हैं क्योंकि (i) वे किफ़ायती हैं (वे स्टार फंड मैनेजर्स की सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं; भारत में, अधिकांश ईटीएफ अपने शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का 0.05 से 1 प्रतिशत वार्षिक खर्च लेते हैं, जबकि सक्रिय रूप से देखरेख किए जाने वाले फंड प्रति वर्ष 2.5-3.25 प्रतिशत और ओपन-एंड इंडेक्स फंड प्रति वर्ष 0.20-2 प्रतिशत शुल्क लेते हैं) (प्रशांता और राज, 2015); (ii) वे निवेशकों को फंड मैनेजर के अधिक सुविज्ञ प्रतिभूति चयन का लाभ पहुंचाते हैं, साथ ही उन्हें विविध निवेश पोर्टफोलियो पेश किया जाता है; (iii) वे एक्सचेंजों के

माध्यम से उच्च तरलता पेश करते हैं; (iv) प्रारंभिक निवेश कम होने की वजह से, खरीद/ बिक्री के लिए वे सरल और सुविधाजनक हैं।

हाल के वर्षों में, भारत सरकार अपने व्यापक विनिवेश कार्यक्रम के तहत ईटीएफ के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। इस पहल के तहत दो ईटीएफ शुरू किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: (ए) सीपीएसई ईटीएफ - जो 11 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) - तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), राष्ट्रीय तापविद्युत निगम (एनटीपीसी), कोल इंडिया, इंडियन ऑयल निगम (आईओसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया, एनबीसीसी इंडिया, एनएलसी इंडिया और एसजेवीएन के शेयरों को ट्रेक करता है; तथा (बी) भारत -22 ईटीएफ - जिसमें नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (नाल्को), ओएनजीसी, आईओसी, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आरईसी, पीएफसी, इंडियन बैंक, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो, भारत

(जारी)

इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एनबीसीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), एनटीपीसी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी), एनएलसी, एसजेवीएन शामिल हैं।

2013-14 से ईटीएफ के जरिए प्राप्त विनिवेश का विवरण इस प्रकार है:

सारणी 1.1: विनिवेश में ईटीएफ का शेयर

| वित्त वर्ष | ईटीएफ | | | कुल विनिवेश | कुल विनिवेश में ईटीएफ का हिस्सा (प्रतिशत) |
|------------|---------------|---------------|---------|-------------|---|
| | सीपीएसई ईटीएफ | भारत 22 ईटीएफ | कुल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013-14 | 3,000 | 0 | 3,000 | 29,368 | 10.2 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 37,737 | 0.0 |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 42,132 | 0.0 |
| 2016-17 | 8,500 | 0 | 8,500 | 47,743 | 17.8 |
| 2017-18 | 0 | 14,500 | 14,500 | 1,00,045 | 14.5 |
| 2018-19 | 26,350 | 18,730 | 45,080 | 94,727 | 47.6 |
| 2019-20 | 26,500* | 4,369* | 30,869* | 65,000 | 47.5 |

टिप्पणी : *2019-20 के आंकड़े 24 फरवरी 2020 तक के हैं। कॉलम (5) में दिए गए आंकड़े केंद्रीय बजट के दस्तावेज से उठाए गए हैं।

स्रोत: निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

कुल विनिवेश संग्रह में ईटीएफ मार्ग से हुई आय क हिस्सा ज्यादा है, जो सारणी 1.1 से स्पष्ट होता है। भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुरूप (जैसा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा उल्लिखित है) - अर्थात्, सीपीएसई के सरकारी स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए - ईटीएफ सरकार द्वारा विनिवेश के लिए पसंदीदा वाहन के रूप में उभरे हैं।

रणनीतिक विनिवेश, विनिवेश का एक वैकल्पिक तरीका है। इसका तात्पर्य है, प्रबंधन के नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ सीपीएसई में 50 प्रतिशत तक की सरकारी शेयर-धारिता के बड़े हिस्से की बिक्री या उससे भी अधिक जैसा निर्धारित किया जाए। वर्ष 2013-14 की अवधि पर्यन्त में, सरकार ने 2016-17 में ₹10,779 करोड़, 2017-18 में ₹42,469 करोड़ और 2018-19 में ₹15,914 करोड़ इस मार्ग के माध्यम से जुटाए, जो कुल विनिवेश आय का क्रमशः 22.6 प्रतिशत, 42.5 प्रतिशत और 16.8 प्रतिशत होता है।

संदर्भ:

प्रशांता, ए. और राज, के.के. (2015), "इंडेक्स फंड्स की तुलना में ईटीएफ: मूल्यांकन" एशिया पसिफिक जर्नल ऑफ रिसर्च इन बिजनेस मैनेजमेंट, वॉल्यूम 20(1)।

IV. व्यय का स्वरूप और प्राथमिकताएं

कुल व्यय 2020-21 में 12.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है, जो 2019-20 (आरई) में देखी गई वृद्धि दर की अपेक्षा कम है। यह उल्लेखनीय है कि निवेश और वृद्धि को बहाल करने के दृष्टिकोण से पूंजीगत व्यय 18.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है, जो एफआरबीएम पश्चात की अवधि (2004-05 से 2018-19) के ऐतिहासिक औसत से अधिक है (सारणी 6)। इसके विपरीत, राजस्व व्यय वृद्धि मामूली होने का अनुमान किया गया है (2004-05 से 2018-19 के सापेक्ष), जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है क्योंकि पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय की तुलना में अधिक गुणक प्रभाव होता है (आरबीआई, 2019)⁴।

सब्सिडी और ब्याज भुगतान

सब्सिडी और ब्याज भुगतान पर व्यय 2019-20 (आरई) में राजस्व व्यय के 37.8 प्रतिशत तक घटने तथा 2020-21 (बीई) में और घटकर 36.9 प्रतिशत तक पहुंचने का उल्लेख बजट में

⁴ भारतीय रिजर्व बैंक (2019), "भारत के लिए आकलन योग्य राजकोषीय गुणक", बॉक्स III.1, अध्याय III - मांग और आउटपुट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल।

सारणी 6: केंद्र सरकार के व्यय

| मदें | ₹ हजार करोड़ | | | वृद्धि दर (प्रतिशत) | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 2018-19 | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. कुल व्यय | 2,315 | 2,699 | 3,042 | 16.6 | 12.7 |
| 2. राजस्व व्यय (जिसमें से) | 2,007 | 2,350 | 2,630 | 17.0 | 11.9 |
| (i) ब्याज भुगतान | 583 | 625 | 708 | 7.3 | 13.3 |
| (ii) प्रमुख सब्सिडी खाद्य | 197 | 227 | 228 | 15.5 | 0.2 |
| उर्वरक | 101 | 109 | 116 | 7.3 | 6.3 |
| पेट्रोलियम | 71 | 80 | 71 | 13.3 | -10.9 |
| (iii) मनरेगा | 25 | 39 | 41 | 55.3 | 6.1 |
| (iv) पीएम-किसान | 62 | 71 | 62 | 14.9 | -13.4 |
| (v) रक्षा (राजस्व) | 1 | 54 | 75 | - | 37.9 |
| 3. पूंजीगत व्यय | 308 | 349 | 412 | 13.4 | 18.1 |

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

किया गया है, जो पिछले बीस वर्षों में इसका सबसे निचला स्तर है। 2019-20 में, ब्याज भुगतान बीई में ₹6.60 लाख करोड़ से घटकर आरई में ₹6.25 लाख करोड़ रह गया, जो हो सकता है वर्ष के दौरान प्रचलित कम ब्याज दर के माहौल को दर्शाता हो।

सारणी 7: प्रमुख सरकारी योजनाओं पर व्यय

| मदें | ₹ हजार करोड़ | | | | कुल व्यय का प्रतिशत | | वृद्धि दर (प्रतिशत) | |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 2018-19 | 2019-20 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ए. केंद्र क्षेत्र की योजनाएं | | | | | | | | |
| 1. पीएम-किसान | 1 | 75 | 54 | 75 | 2.0 | 2.5 | - | 37.9 |
| 2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 3. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.2 | 0.1 | 7.0 | 10.7 |
| 4. उज्ज्वला योजना | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.1 | 0.0 | 16.4 | -70.0 |
| 5. सड़क कार्य | 38 | 46 | 46 | 49 | 1.7 | 1.6 | 21.4 | 6.3 |
| 6. सागरमाला | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | -22.0 |
| 7. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | -25.9 | -30.0 |
| बी. केंद्र प्रायोजित योजनाएं | | | | | | | | |
| 1. मनरेगा | 62 | 60 | 71 | 62 | 2.6 | 2.0 | 14.9 | -13.4 |
| 2. आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई) | 2 | 7 | 3 | 6 | 0.1 | 0.2 | 49.0 | 94.0 |
| 3. पीएम कृषि संघाई योजना | 8 | 10 | 8 | 11 | 0.3 | 0.4 | -3.0 | 40.9 |
| 4. पीएम ग्राम सड़क योजना | 15 | 19 | 14 | 20 | 0.5 | 0.6 | -8.7 | 38.6 |
| 5. पीएम आवास योजना | 25 | 26 | 25 | 28 | 0.9 | 0.9 | -0.4 | 8.6 |
| 6. स्वच्छ भारत मिशन | 15 | 13 | 10 | 12 | 0.4 | 0.4 | -37.3 | 27.6 |
| 7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | 32 | 34 | 34 | 34 | 1.3 | 1.1 | 8.9 | -0.5 |
| 8. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन | 31 | 39 | 38 | 39 | 1.4 | 1.3 | 22.2 | 4.0 |

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।


सब्सिडी पर हुआ खर्च 2019-20 (बीई) में जीडीपी के 1.6 प्रतिशत से घटकर 2019-20 (आरई) में जीडीपी का 1.3 प्रतिशत हो जाने तथा 2020-21 (बीई) में और घटकर 1.2 प्रतिशत होने का उल्लेख बजट में किया गया है। हालांकि, इसे हासिल करने के लिए 2019-20 (आरई) के साथ-साथ 2020-21 (बीई) दोनों के मामले में मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी पर वर्तमान बजट व्यय को 0.9 प्रतिशत से घटाकर बजट में जीडीपी का 0.5 प्रतिशत किया गया। इस बड़ी कटौती के बावजूद, खाद्य सब्सिडी समग्र सब्सिडी बिल पर भारी है।

प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए आवंटन के संदर्भ में, बजटीय राशि 2020-21 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकिसान) के लिए समान है और 2019-20 (बीई) की तुलना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए थोड़ा अधिक है (सारणी 7)। मनरेगा और पीएमकिसान दोनों को इस तरह बनाया गया है कि वे ग्रामीण परिवारों की आय को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।

विवेकसम्मत व्यय की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय

केंद्र सरकार के कुल व्यय को प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें वे खर्च आते हैं जिसे सरकार द्वारा अवश्य किया जाना होता है, जैसे, स्थापना व्यय (अर्थात्, वेतन, मजदूरी, पेंशन तथा कार्यालय खर्च), ब्याज भुगतान, वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान एवं राज्यों को जीएसटी मुआवजा और विवेकसम्मत व्यय, जिसमें सरकार कुछ विवेक के साथ काम कर सकता है, जैसे, केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (जिसमें सभी सब्सिडी शामिल हैं), केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्यों को अंतरण (वित्त आयोग अनुदान एवं जीएसटी मुआवजा को छोड़कर) में वियोजित किया जा सकता है। केंद्र सरकार के कुल व्यय के आधे से ज्यादा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे काबू में करना मुश्किल होता है (चार्ट 4)। अतः, विवेकसम्मत व्यय पर ही सरकार का नियंत्रण है जिसका सहारा वह राजकोषीय समेकन⁵ के लिए ले पाता है।

⁵ गौरतलब है कि विवेकसम्मत व्यय के अंतर्गत शामिल किए गए मदों को संवैधानिक सहारा प्राप्त है, जैसे अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अतः, इसे वापस लेना मुश्किल है।



पूंजी व्यय

पूंजी व्यय में 2018-19 के दौरान 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी क्रम में पूंजी व्यय 2019-20 (आरई) में 13.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने तथा 2020-21 में 18.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है। प्रमुख बुनियादी संरचनाओं के मामले में, पूंजी व्यय 22.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान किया गया है, जो संचार क्षेत्र की वजह से है, जिसको लेकर 2020-21 में पांच गुना ज्यादा आवंटन किए जाने का उल्लेख

बजट में किया गया है (सारणी 8)। पूंजी व्यय पर इस कदर जोर दिया जाना राष्ट्रीय बुनियादी संरचना पाइपलाइन रिपोर्ट में रेखांकित दृष्टिपथ की तर्ज पर है, जिसमें नई बुनियादी संरचना के निर्माण तथा मौजूदा बुनियादी संरचना को अपग्रेड करने को लेकर ₹102 लाख करोड़ निवेश करने की परिकल्पना की गई है, जो भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में इजाफा करने एवं 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य साधने के लिए महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में राष्ट्रीय बुनियादी

सारणी 8: पूंजी व्यय

| | ₹ हजार करोड़ | | | वृद्धि दर (प्रतिशत) | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 2018-19 | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) | 2018-19 | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. कुल पूंजी व्यय | 308 | 349 | 412 | 16.9 | 13.4 | 18.1 |
| 2. रक्षा | 95 | 110 | 114 | 5.3 | 15.9 | 3.0 |
| 3. पूंजी व्यय (रक्षा को छोड़कर) | 212 | 239 | 298 | 23.0 | 12.3 | 25.1 |
| (i) प्रमुख बुनियादी संरचना | 138 | 147 | 179 | 27.7 | 6.1 | 22.4 |
| सिंचाई | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -3.4 | 0.0 | 24.0 |
| ऊर्जा | 9 | 5 | 6 | 92.1 | -38.1 | 9.5 |
| भारतीय रेल | 53 | 68 | 70 | 21.7 | 28.4 | 3.2 |
| सड़क और पुल | 70 | 68 | 77 | 30.3 | -2.2 | 13.3 |
| नागरिक उड्डयन | 4 | 0.03 | 0.03 | 116.5 | -99.4 | 3.8 |
| बंदरगाह और लाइट हाउस | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 36.5 | -69.1 |
| संचार | 3 | 5 | 26 | -43.0 | 83.1 | 450.3 |
| (ii) उद्योग और खनीज | 5 | 7 | 7 | -4.1 | 40.6 | 5.0 |
| (iii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण | 7 | 9 | 10 | 35.8 | 27.7 | 9.5 |
| (iv) अन्य | 62 | 76 | 101 | 15.0 | 21.9 | 34.2 |

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

संरचना पाइपलाइन के अंतर्गत आने वाली परियाजनाओं के लिए ₹22,050 करोड़ का विशेष प्रावधान भी किया गया है।

V. जीएफडी का वित्तपोषण

दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधार 2019-20 (आरई) में ₹7.1 लाख करोड़ होने की तुलना में 2020-21 में ₹7.8 लाख करोड़ होने का उल्लेख बजट में किया गया है। राजकोषीय घाटा बजटीय राजकोषीय घाटे की अपेक्षा अधिक होने के बावजूद, सकल और शुद्ध बाजार उधार को 2019-20 के लिए बरकरार रखा गया, क्योंकि राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के सहारे समग्र अतिरिक्त उधार आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। हाल के वर्षों में केंद्र के उधार कार्यक्रम में एनएसएसएफ का बढ़ता हिस्सा देखने को मिला है (बॉक्स II)। 2020-21 (बीई) के अनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए शुद्ध बाजार उधार जीएफडी के 68.4 प्रतिशत की आपूर्ति करेगा जबकि एनएसएसएफ के जरिए वह जीएफडी के 30 प्रतिशत से कुछ ज्यादा की आपूर्ति करेगा (सारणी 9)।

केंद्रीय बजट 2020-21 में 2020-21 के लिए 2.7 लाख करोड़ (सकल राशि) (2019-20 (आरई) के दौरान ₹1.7 लाख करोड़) की प्रतिभूतियों को स्विट्च करने तथा ₹30,000 करोड़ की प्रतिभूतियों की पुनःखरीद का बजट किया गया है। इसमें

सारणी 9: जीएफडी की वित्तपोषण

(₹ हजार करोड़)

| | 2018-19 | 2019-20 (बीई) | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सकल राजकोषीय घाटा | 649 (100.0) | 704 (100.0) | 767 (100.0) | 796 (100.0) |
| द्वारा वित्तपोषित | | | | |
| शुद्ध बाजार उधार | 423 (65.1) | 473 (67.2) | 473 (61.7) | 545 (68.4) |
| शुद्ध खजाना बिल | 7 (1.1) | 25 (3.6) | 25 (3.3) | 25 (3.1) |
| एनएसएसएफ | 125 (19.2) | 130 (18.5) | 240 (31.3) | 240 (30.1) |
| बाह्य सहायता | 6 (0.8) | -3 (-0.4) | 5 (0.6) | 5 (0.6) |
| राज्य भविष्य निधि | 16 (2.5) | 18 (2.6) | 18 (2.3) | 18 (2.3) |
| आरक्षित निधि | -18 (-2.8) | -1 (-0.1) | 0 (0.0) | 3 (0.4) |
| जमाएं और अग्रिम | 66 (10.2) | 14 (1.9) | 33 (4.3) | 36 (4.5) |
| नकदी शेष का आहरण | -1 (-0.2) | 51 (7.3) | 0 (0.0) | -53 (-6.7) |
| अन्य | 27 (4.1) | -3 (-0.5) | -27 (-3.6) | -22 (-2.8) |
| ज्ञापन मद | | | | |
| सकल बाजार उधार | 571 | 710 | 710 | 780 |

टिप्पणी : शुद्ध बाजार उधार में केवल दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए लिए गए उधार शामिल हैं। शुद्ध खजाना बिलों में 91-दिन, 182-दिन, 364-दिन के जरिए लिए गए उधार एवं अन्य सभी खजाना बिल शामिल हैं। अन्य में प्रतिभूतियों की पुनःखरीद, प्रतिभूतियों की स्विट्चिंग, बचत बॉन्ड, राहत बॉन्ड इत्यादि शामिल हैं। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीएफडी के प्रतिशत को दर्शाते हैं।
स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज ।

बॉक्स II: राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) की बढ़ती महत्ता


एनएसएसएफ भारत के सरकारी खाते में बनाया गया एक कोष है जिसमें वित्तीय बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई सभी लघु बचत योजनाओं की आय जमा होती है। एनएसएसएफ में प्राप्तिगत तीन स्रोतों, डाकघर बचत जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और सरकारी भविष्य निधि से आती हैं। एनएसएसएफ में एकत्रित धनराशि का निवेश केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किया जाता है। चौदहवें वित्त आयोग (एफसी - XIV) की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने एनएसएसएफ से उधार लेना बंद कर दिया है। इस प्रकार, एनएसएसएफ के पास उपलब्ध अधिशेष निधि का उपयोग अन्य⁶ के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, एयर इंडिया, भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) के बीच ऋण देने के लिए किया जा रहा है।

इसलिए, एनएसएसएफ अनिवार्य रूप से एक वित्तीय मध्यस्थ है जो परिवारों के अधिशेष धन को सरकारी क्षेत्र में निवेश करता है। ऐसा करने पर, यह सरकार और पीएसयू को दिए गए ऋणों पर आय अर्जित करता है और जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करता है तथा प्रबंधन पर खर्च करता है, और इस प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर उसका परिचालन लाभ/हानि होता है। एनएसएसएफ की 1999-00 (जिस वर्ष में एनएसएसएफ को पहली बार भारत के सरकारी खाते से बाहर किया गया था) से 2018-19 तक (नवीनतम वर्ष जिसके लिए वास्तविक डेटा उपलब्ध है) की आय और व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि

(जारी)


⁶ यह राष्ट्रीय लघु बचत कोष की व्यापक समीक्षा संबंधी समिति (अध्यक्ष: श्रीमती एस. गोपीनाथ) की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि एनएसएसएफ सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अवसंरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है जो सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हैं।



इस बीस वर्ष की अवधि के दौरान एनएसएसएफ को केवल चार वर्षों में अधिशेष हुआ है और मार्च 2019 की समाप्ति पर उसे ₹1.13 लाख करोड़ की संचित हानी हुई, जो मार्च 2021 की समाप्ति तक बढ़कर ₹1.24 लाख करोड़ होने का उल्लेख बजट में किया गया है (चार्ट II.1)।

गौरतलब है कि एनएसएसएफ निर्धारित ब्याज दरों पर पैसे उधार लेता है और देता है। जहां उधार दरों को वार्षिक रूप से तय किया जाता है, वहीं जमा दरों को त्रैमासिक रूप से परखा जाता है और उसे कतिपय लघु बचत योजनाओं में थोड़े अंतर के साथ समान


परिपक्वताओं वाली जी-सेक दरों के समरूप किया जाता है⁷। 2018-19 में एनएसएसएफ की कुल जमा राशियों में ब्याज व्यय का अनुपात 6.9 था, जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए तुलनात्मक आंकड़ा 4.8 था। यह इस लघु बचत योजनाओं और बैंक जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर के बीच के अंतर के कारण ही है कि एनएसएसएफ के कुल कोष में 2014-15 से अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और 2014-15 में ₹9.1 लाख करोड़ से दुगुना बढ़कर 2020-21 में ₹20.7 लाख करोड़ होने का उल्लेख बजट में किया गया है (चार्ट II.2, अनुबंध II)।



⁷ सरकार ने 31 मार्च 2020 को 2020-21 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भारी कटौती की घोषणा की है (<https://dea.gov.in/sites/default/files/RoI%20Q1%202020-21%20%281%29.pdf>).

₹25,000 करोड़ के शुद्ध अल्पावधि उधार और ₹2.5 लाख करोड़ के नकदी प्रबंध बिल (सीएमबी) के निर्गम की भी व्यवस्था की गई है। बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत

कोई आवंटन नहीं है। सरकार ने 2020-21 में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) के जरिए ₹10,500 करोड़ की सकल राशि जुटाने की भी योजना बनाई है।



VI. बकाया देयताएं

केंद्र सरकार की कुल बकाया देयताएं (अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से उठाए गए उधार सहित) 2019-20 (आरई) में तेजी से बढ़कर 51.0 प्रतिशत होने तथा 2020-21 बीई में मामूली रूप से घटकर 50.6 प्रतिशत होने का उल्लेख बजट में किया गया है (चार्ट 5)। सरकार का अनुमान है कि बकाया देयताएं 2022-23 तक कम होकर 45.5 प्रतिशत रह जाएगी⁸। गौरतलब है कि संशोधित एफआरबीएम फ्रेमवर्क के अनुसार लक्ष्य यह है कि केंद्र सरकार की बकाया देयताओं को 2024-25 तक कम करते हुए जीडीपी का 40 प्रतिशत करना है।

VII. केंद्र से राज्यों को अंतरित संसाधन

2019-20 (आरई) में केंद्र से राज्यों को अंतरित संसाधनों में गिरावट आई जो कर अंतरण में भारी कमी आने की वजह से थी

और इसकी आंशिक रूप से भरपाई के लिए अन्य अंतरणों में इजाफा किया गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, वर्ष के दौरान सकल अंतरण में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष में कर अंतरण में गिरावट के लिए केंद्र के कर संग्रह के कम होने के साथ-साथ दूसरा मुख्य कारण संशोधित अनुमान, जिसे 2019-20 (आरई) में लगभग 30 आधार अंक तक समायोजित किया गया था, की तुलना में पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 में केंद्र के वास्तविक कर संग्रह का कम होना है। वर्ष 2020-21 में, सकल अंतरण जीडीपी का 6.2 प्रतिशत होने का उल्लेख बजट में किया गया है, जो दर्शाता है कि 2019-20 (आरई) में 5.8 प्रतिशत से काफी वृद्धि हुई है। कर अंतरण पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट (बॉक्स III) में सुझाए गए फार्मुले के अनुसार है और केंद्र से राज्यों को अंतरित संसाधनों का मुख्य आधार बना हुआ है।

बॉक्स III: पंद्रहवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट : एक झलक

भारत में केंद्र-राज्य राजकोषीय असंतुलन को केंद्र से राज्यों में संघीय अंतरण की एक प्रणाली के माध्यम से दुरुस्त करने की अपेक्षा की जाती है, जो मुख्य रूप से कर अंतरण और 2015-16 से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण के रूप में है। वित्त आयोग (एफसी), जो अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, को कर अंतरण का अनुपात निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और इस प्रकार केंद्र-राज्य के राजकोषीय संबंधों में अहम भूमिका निभाता है।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर अंतरण ने इस अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, जिसका श्रेय चौदहवें वित्त आयोग (एफसी-XIV) को जाता है, भले ही सकल संसाधन अंतरण मोटे तौर पर स्थिर रहे (चार्ट III.1ए)। इस स्थिरता को हासिल करने के लिए कर अंतरण की वृद्धि पर लगाम लगाया गया जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 271 के अनुसार शेयर किए जाने योग्य कर समूह (विभाज्य समूह) की परिधि से बाहर के कर संग्रह में उपकरणों और अधिभारों पर केंद्र की निर्भरता को बढ़ाया गया (चार्ट III.1 बी)। साथ-साथ,

(जारी)


⁸ मध्यमावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण, केंद्रीय बजट 2020-21.

2001-02 से 2007-08 के बीच मजबूत वृद्धि दर्ज करने के बाद, केंद्र और राज्यों, दोनों के मामले में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर संग्रह में 2007-08 से एक ठहराव सा आ गया है (चार्ट III.1सी)। एक अन्य वास्तविकता यह है कि भारत में संघीय राजकोषीय हुकूमत को अपने समकक्ष देशों की तुलना में जीडीपी में कर की तीव्रता में कमी का सामना करना पड़ता है (चार्ट III.1डी)।

इस हालत में, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) की अंतरिम रिपोर्ट 1 फरवरी, 2020 को संसद के बजट सत्र में पेश की गई थी। इसकी

सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और 2020-21 के केंद्रीय बजट प्रावधानों में उल्लेख किया गया है। कर अंतरण अनुपात 2020-21 के लिए विभाज्य पूल का 41 प्रतिशत होने की सिफारिश की गई है, जो एफसी-XIV के समय के अर्थात् 2015-20 के 42 प्रतिशत की तुलना में 1 प्रतिशत कम है। राज्यों की हिस्सेदारी में कमी मुख्य रूप से उस हिस्से को समाप्त करने के कारण है जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर (विभाज्य पूल का 0.8 प्रतिशत) को आवंटित किया जाता था।

चार्ट III.1: संघीय अंतरणों की गतिशीलता : तथ्यात्मक साक्ष्य



चार्ट की टिप्पणियां :

ए. वर्ष 2014-15 के लिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में अंतरित संसाधनों को राज्य व यूटी नीतियों की केंद्रीय सहायता में शामिल किया गया है। सी. 2019-20 में केंद्र का सकल कर राजस्व संशोधित अनुमान है। 2018-19 और 2019-20 में राज्यों के निजी कर राजस्व क्रमशः संशोधित अनुमान एवं बजट अनुमान हैं। स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज (विभिन्न अंक), आरबीआई की राज्य वित्त रिपोर्ट (विभिन्न अंक), संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, सरकारी राजस्व डेटासेट, 2019.

(जारी)

कर अंतरण के अलावा, एफसी ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत अनुदान के रूप में राज्यों को विशिष्ट अंतरण की सिफारिश भी की है। एक के बाद एक बदलते एफसी के साथ इन अनुदानों के उद्देश्य में काफी भिन्नता आई है, हालांकि 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के पारित होने के बाद से स्थानीय निकायों के लिए संघीय अंतरण को अनिवार्य करने के बाद स्थानीय निकायों में अंतरण का हिस्सा काफी बढ़ गया है। 2020-21 के लिए भी, स्थानीय निकायों को किए गए अंतरण में एफसी अनुदान का एक बड़ा हिस्सा है; आयोग ने राजस्व घाटे को कम करने के लिए अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि की भी सिफारिश की है (सारणी III.1)।

एफसी को राज्यों के बीच करों के आपसी वितरण के लिए मानदंड और सूत्र के निर्धारण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य है कि राज्यों के आय स्तरों में असमानता के कारण उनकी राजस्व जुटाने की भिन्न-भिन्न क्षमताओं का समाधान करते हुए सभी नागरिकों को न्यूनतम स्तर की सरकारी सेवाएं मिल सकें। एफसी-XV ने अलग-अलग राज्यों के मानदंडों और अंतरण हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो मुख्य रूप से 1971 से 2011 तक के जनसंख्या गणना वर्ष में हुए बदलाव के कारण हैं। जनसंख्या की गणना में परिवर्तन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) द्वारा नियंत्रित होता है। हालांकि एफसी-XV जनसांख्यिकीय प्रदर्शन⁹ के लिए मानदंड शुरू करते हुए संदर्भ



सारणी III.1: वित्त आयोग अनुदान

(₹ करोड़)

| अनुदान का नाम | केंद्रीय बजट 2020-21 | | | एफसी-XV सिफारिश |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2018-19 | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) | 2020-21 |
| स्थानीय निकायों के लिए अनुदान – ग्रामीण | 35,064 | 58,616 | 69,925 | 60,750 |
| स्थानीय निकायों के लिए अनुदान – शहरी | 14,400 | 25,843 | 30,000 | 29,250 |
| राज्य आपदा राहत कोष के लिए अनुदान सहायता | 9,658 | 10,938 | 20,000 | 22,184 |
| अनुदान आपूर्ति के कारण अंतरण पश्चात राजस्व घाटा | 34,582 | 28,314 | 30,000 | 74,340 |
| विशेष अनुदान | | | | 6,764 |
| पोषण के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान | | | | 7,735 |
| कुल वित्त आयोग अनुदान | 93,704 | 1,23,710 | 1,49,925 | 2,01,023 |

जनगणना में हुए बदलाव के कारण कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के शेर में होने वाले नुकसान को संतुलित करने की कोशिश करता है, वहीं जनसंख्या को मानदंड के रूप में परोक्ष रूप से उपयोग किया जाता है ताकि किसी राज्य के आय अंतर को मापा जा सके और इस प्रकार उन राज्यों को नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने जनसंख्या में कम वृद्धि दर हासिल की है (चार्ट III.2ए)। आपसी वितरण को लेकर मानदंड में अन्य बदलावों में वन कवर के भारांक में वृद्धि (2.5

चार्ट III.2: अंतरित करों का आपसी वितरण



टिप्पणियाँ : 1. चार्ट ए में, जनसंख्या मानदंड में परिवर्तन संदर्भ जनगणना वर्ष में बदलाव से पड़ने वाले एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन मानदंड को जनसांख्यिकीय प्रदर्शन मानदंड के साथ बदलने से पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। अन्य बदलावों में वन कवर के भारांक में वृद्धि से पड़ने वाले तथा कर प्रयास मानदंडों को शुरू करने से पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं।
2. चार्ट बी में, एक्स-एक्सिस के लिए, अलग-अलग राज्यों व सभी राज्यों के औसत का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी संबंधित वित्त आयोग द्वारा अपने-अपने आय अंतर मानदंडों के लिए उपयोग किए गए संदर्भ वर्षों के लिए हैं। यह विश्लेषण भारत में लंबे अरसे से क्षेत्रीय आय असमानता एवं समानता के विषय में प्रचलित अध्ययन पर आधारित है (कृष्णा, 2004; कुमार, 2005; मिश्रा और मिश्रा, 2015; बंधोपाध्याय, 2016)।

स्रोत : एफसी-XIV रिपोर्ट, एफसी-XV अंतरिम रिपोर्ट, लेखकों की गणनाएं।

(जारी)

⁹ 2011 की जनगणना एवं 1971 में राज्य की जनसंख्या के अनुसार कुल प्रजनन दर के व्युत्क्रम के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रतिशत की दर से), कर प्रयास के लिए एक नए मानदंड की शुरुआत (2.5 प्रतिशत भार) और आय अंतर मानदंड के भारांक में 5 प्रतिशत की कटौती शामिल है। कुल मिलाकर, एफसी-XV द्वारा कर अंतरण में प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी को लेकर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश एफसी-XIV द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप ही प्रगति के समान स्तर पर है (चार्ट III.2बी और अनुबंध III)।

एफसी-XV की पूरी रिपोर्ट, जिसमें वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए कर अंतरण और अनुदानों की सिफारिशें शामिल होंगी, 30 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत की जानी है। इसकी पूरी रिपोर्ट में, एफसी-XV स्वास्थ्य, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, न्यायपालिका, ग्रामीण संपर्क, रेलवे, सांख्यिकी और पुलिस प्रशिक्षण और आवास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान की सिफारिश करने की भी परिकल्पना करता है। इसके अलावा, आयोग छह क्षेत्रों, जैसे, कृषि सुधार; एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (एडीपी) के प्रदर्शन; बिजली क्षेत्र में सुधार; व्यापार

(निर्यात); शिक्षा; और पर्यटन को बढ़ावा देने, में राज्यों को उनके काम के प्रदर्शन के आधार पर अनुदानों की सिफारिश करने की व्यवहार्यता का भी मूल्यांकन कर रहा है।

संदर्भ :

Bandopadhyay, S. (2016), "The persistence of inequality across Indian states", *CSAE Working Paper WPS/2016-26*.

Krishna, K.L. (2004), "Patterns and Determinants of Economic Growth in Indian States". *Working Paper No 144*, Indian Council of Research on International Economic Relations.

Kumar, T.R. (2005), "Tax Devolution and Regional Disparities", *Economic and Political Weekly*, Vol. 40(20).

Mishra, A. and Mishra, V. (2015), "Examining Income Convergence among Indian States: Time Series Evidence with Structural Breaks", *Discussion Paper 44/15*, Monash Business School, Department of Economics.

2019-20 (आरई) और 2020-21 (बीई) में वित्त आयोग के अनुदान में हुई वृद्धि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के अनुदान में ज्यादा इजाजा करने की बदौलत है। 2019-20 (आरई)

और 2020-21 (बीई) में केंद्र शासित प्रदेशों के अंतरण इसलिए बढ़े हैं क्योंकि भूतपूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को किए गए अंतरण को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है (सारणी 10)।

सारणी 10: केंद्र से राज्यों को सकल और शुद्ध अंतरण

| | ₹ हजार करोड़ | | | | जीडीपी का प्रतिशत | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 (आरई) | 2020-21 (बीई) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. राज्यों का कर अंतरण हिस्सा | 673.0 | 761.5 | 656.0 | 784.2 | 3.9 | 4.0 | 3.2 | 3.5 |
| ए. वर्ष के दौरान उपचित के रूप में राज्यों को कर अंतरण* | 697.6 | 678.0 | 714.9 | 784.2 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
| बी. गत वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन | 0.0 | 24.6 | -58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.0 |
| 2. वित्त आयोग अनुदान | 92.2 | 93.7 | 123.7 | 149.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| ए. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान | 34.4 | 35.1 | 58.6 | 69.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| बी. शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान | 12.6 | 14.4 | 25.8 | 30.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| सी. एसडीआरएफ के लिए अनुदान सहायता | 9.4 | 9.7 | 10.9 | 20.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| डी. अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान | 35.8 | 34.6 | 28.3 | 30.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 3. योजना संबंधी अंतरण | 278.8 | 286.0 | 322.4 | 335.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| ए. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत | 262.0 | 271.5 | 283.1 | 295.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| बी. केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत | 16.0 | 13.6 | 38.2 | 39.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| सी. अन्य अंतरण | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. अंतरण के कुछ महत्वपूर्ण मदें | 37.2 | 46.2 | 57.3 | 73.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| ए. विशेष सहायता | 7.0 | 4.7 | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| बी. एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता | 4.7 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| सी. बाह्य सहायता से परियोजना-ऋण | 17.5 | 23.8 | 25.0 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| डी. अन्य अंतरण | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5. दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर को अंतरण (अक्टूबर 2019 से) | 3.8 | 8.0 | 28.4 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 6. राज्यों और यूटी को सकल अंतरण (1 से 5) | 1,085.1 | 1,195.4 | 1,188.0 | 1,390.7 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.2 |
| 7. ऋण और अग्रिमों की वसूली | 13.1 | 14.4 | 14.2 | 12.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 8. राज्यों और यूटी को अंतरित शुद्ध संसाधन (6-7) | 1,072.0 | 1,181.0 | 1,173.8 | 1,378.2 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.1 |

टिप्पणी :* वर्ष के दौरान उपचित के रूप में राज्यों को कर अंतरण = राज्यों को कर अंतरण - वास्तविक के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन (गत वर्ष में उपचित) + वास्तविक के अनुसार पिछले वर्ष के राज्यों के हिस्से का समायोजन उदाहरण के लिए, 2018-19 में उपचित कर = 761.5 - 24.6 + (-58.8).

कॉलम में दिए गए आंकड़ों को संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कुल में नहीं जोड़ा जा सका।

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

VIII. निष्कर्ष

यूनियन बजट 2020-21 का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पावधि, मध्यमावधि और दीर्घावधि उपायों के संयोजन से सक्रिय करना है। प्रत्यक्ष कर सुधार, विशेष रूप से आयकर में छूट से मध्यम आय वाले परिवारों की क्रय शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। डिविडेण्ड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स समाप्त करने से उद्योगों की काफी अरसे से चली आ रही मांग पूरी हो गयी तथा भारत निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बनने में इससे सहायता मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर, राजकोषीय विवेक से शासित बजट, वृद्धि को बढ़ावा देने वाला और कल्याण बढ़ाने वाला है। अर्थव्यवस्था में विकास की धीमी गति के वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने

के लिए बजट में पूंजी व्यय में भी कटौती नहीं की है, जो वांछनीय है। एफआरबीएम लक्ष्यों के संबंध में, तीन क्रमिक वर्षों के लिए ऐस्क्रेप कलॉज का उपयोग किया गया है - 2018-19 और 2019-20 में जीएसटी को यथाशीघ्र नियमित करने के लिए और 2019-20 और 2020-21 में न्यूनतम कॉरपोरेट करों के राजस्व के परिणाम जो भारत को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं और मध्यावधि में निवेश और विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आगामी वर्ष के दौरान, विशेष रूप से COVID-19 महामारी की पृष्ठभूमि में आर्थिक विकास और उभरती स्थिति देश के राजकोषीय कार्यनिष्पादन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी।

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय

आरबीआई के संबंध में बजट 2020-21 में किए गए उपाय:

- निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को निक्षेप बीमा कवरेज 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति जमाकर्ता करने की अनुमति दी गई है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शासन सुधार शुरू करने का प्रस्ताव ताकि वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पारदर्शिता लाने के लिए उपाय करने के अलावा सहकारी बैंकों को मजबूत करने हेतु बैंककारी विनियमन अधिनियम में उचित संशोधनों के माध्यम से व्यावसायिकता बढ़ाने, पूंजी तक पहुंच बनाने और आरबीआई द्वारा निगरानी में सुधार करने का प्रस्ताव।
- सरफेसी अधिनियम के अनुसार ऋण वसूली के लिए पात्र होने के लिए एनबीएफसी की सीमा को ₹500 करोड़ से घटाकर ₹100 करोड़ रुपये या मौजूदा ऋण राशि ₹1 करोड़ से ₹50 लाख रुपये तक कम करने का प्रस्ताव है।
- सरकार ने आरबीआई से एमएसएमई ऋण के पुनर्गठन की व्यवस्था (जो 31 मार्च, 2020 को बंद होना अपेक्षित है) को आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए सूचित किया है।
- एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना (जिसकी घोषणा पहले की गई थी) को मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की जाएगी। एतद्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों की सरकार गारंटी देगी।

वित्तीय बाजार:

- सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां पूरी तरह से अनिवासी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए एफपीआई सीमा, वर्तमान में बकाया स्टॉक के 9 प्रतिशत है, को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा।

भाग I

विषय ए: महत्वाकांक्षी भारत, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर रोजगार के साथ जीवन के बेहतर मानक की अपेक्षा की गई है।

1. कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास

- पीएम कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) के अंतर्गत 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप दिया जाएगा और उनके ग्रिड से जुड़े पंपों को सौरीकृत करने के लिए 15 लाख अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- पीपीपी तरिके से एक कारगर मालगोदाम के निर्माण के संबंध में व्यवहार्यता गैप वित्तपोषण के लिए प्रस्ताव, जो मालगोदाम विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के मानदंडों का अनुपालन करता है।
- एसएचजी द्वारा संचालित ग्राम भंडारण योजना शुरू की जाएगी जिससे किसानों को अच्छी होल्डिंग क्षमता मिलेगी और उनकी लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। महिला, स्वयं सहायता समूह "धान्य लक्ष्मी" के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त करेंगे।
- ई-एनडब्ल्यूआर (निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद) का ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के साथ एकीकरण।
- खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए भारतीय रेल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्रमशः "किसान रेल" और "कृषि उड़ान" राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला शुरू की जाएगी। एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटेड कोच होंगे।
- बागवानी क्षेत्र में, बेहतर विपणन और निर्यात के लिए, उन राज्यों को समर्थन देने का प्रस्ताव है जो क्लस्टर आधार को अपनाते हुए "एक उत्पाद एक जिले" पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणालियों का विस्तार प्रस्तावित है और जैविक उत्पादों पर राष्ट्रीय पोर्टल को बड़ावा दिया जाएगा।
- 2020-21 के लिए ₹15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शैवाल और समुद्री खरपतवार और केज कल्चर के बढ़ने के अलावा 2022-23 तक मछली उत्पादन का 200 लाख टन का लक्ष्य है।

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय (जारी)

- 'सागर मित्र' के माध्यम से मत्स्य पालन में युवाओं को शामिल करने और 500 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के निर्माण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव।

2. कल्याण, जल और स्वच्छता:

- पीपीपी तरिके से अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता गैप वित्तपोषण प्रदान करने का प्रस्ताव, महत्वाकांक्षी जिलों से शुरू होता है, जिनके पास पीएमजेवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के अंतर्गत कोई पैनल अस्पताल नहीं है।
- 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र योजना का विस्तार।
- ओडीएफ आचरण को बनाए रखने और जनसंख्या के सभी वर्गों में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए ओडीएफ प्लस के प्रति प्रतिबद्धता।
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ लिक्विड और ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रीत करना।
- जल जीवन मिशन (पानी के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों को बढ़ाना) के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने वाले दस लाख से अधिक शहरों पर जोर दिया गया है।

3. शिक्षा और कौशल

- नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी।
- बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और एफडीआई जुटाने में सक्षम बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे ताकि मुर्त और मानव पूंजी में वृद्धि के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके।
- युवाओं की रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए मार्च 2021 तक करीब 150 उच्च शिक्षण संस्थान अप्रेंटिसशिप-निहित कोर्स शुरू कर देंगे।
- यूएलबी द्वारा एक वर्ष तक की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटरशिप के अवसर।

- नैशनल इंस्टिट्यूशनल रेकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के पहले 100 रैंकों के संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर के पूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत।
- भारत में अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत एशिया और अफ्रीका में इंड-सैट का आयोजन किया जाएगा। इसका उपयोग भारतीय उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विदेशी उम्मीदवारों को बेंचमार्क करने के लिए किया जाएगा।
- पीपीपी तरिके से मौजूदा जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अटैच करने का प्रस्ताव है।
- स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालयों द्वारा वैश्विक मानकों के समतुल्य पेशेवर निकायों के साथ मिलकर विशेष ब्रीज पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, ताकि भारतीय शिक्षकों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ और देखभाल करने वालों को विदेशों में रोजगार हासिल करने में सुविधा मिल सके।

विषय बी: आर्थिक विकास

1. उद्योग, वाणिज्य और निवेश

- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 2020-21 से 2023-24 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रस्तावित किया गया है।
- उच्चनिर्यात ऋणवितरण के लिए एनआईआरएफ के योजना शुरू की जाएगी जिसमें उच्च बीमा कवरेज, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कटौती और दावा निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया का प्रावधान है।
- एक निवेश क्लियरेंस सेल की स्थापना करना, एक पोर्टल के माध्यम से काम करना, पूर्व-निवेश सलाहकार, भूमि बैंकों से संबंधित जानकारी और केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी की सुविधा सहित अंत तक सुविधा और सहायता प्रदान करना।
- पीपीपी तरिके से आधार पर राज्यों के सहयोग से 5 नए स्मार्ट शहरों का विकास।

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय (जारी)

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की लागत प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी।
- एमएसएमई के अवसरों को अधिकतम करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर टर्नओवर को ₹3 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर जोर दिया गया।

2. बुनियादी ढांचा

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए योजना तैयार करने की सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट बनाने और रोजगार, कौशल का सृजन और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति शुरू की जाएगी।
- सड़कें: राजमार्गों का त्वरित विकास किया जाएगा, जिसमें पहुंच नियंत्रण राजमार्गों का स्केलिंग करना, आर्थिक मार्ग, कार्यनीतिक राजमार्गों को बढ़ाना शामिल है।
- रेल: चार स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं और पीपीपी मोड के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन रेल पटरियों के साथ रेलवे भूमि में बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण। 148 किलोमीटर लंबी बंगलुरु उपनगरीय परिवहन परियोजना केंद्र सरकार की 20 प्रतिशत इक्विटी के साथ शुरू की जाएगी।
- बंदरगाह: सरकार कम से कम एक प्रमुख बंदरगाह को कॉर्पोराइज करने और बाद में स्टॉक एक्सचेंजों पर इसकी लिस्टिंग पर विचार करेगी।
- वायु: उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक/क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना) के अंतर्गत 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।

- पावर: प्रीपेड स्मार्ट मीटर द्वारा पारंपरिक ऊर्जा मीटर को बदलने के प्रयास।
- गैस ग्रिड: 16,200 किमी से 27,000 किमी तक राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार

3. नई अर्थव्यवस्था

- देश भर में डेटा सेंटर पार्क बनाने में निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए एक नीति जल्द ही शुरू की जा सकती है, ताकि मूल्य श्रृंखला के हर कदम में डेटा का सामंजस्य हो सके।
- भारतनेट के माध्यम से फाइबर टू दि होम (एफटीटीएच) कनेक्शन इस वर्ष 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ देगा।
- ₹8,000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव किया गया है।
- नए और उभरते क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद समूह स्थापित किए जाएंगे।
- आरंभिक जीवन निधि पर विशेष जोर, आरंभिक अवस्था के विकास के लिए बीज कोष सहित, प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप के विकास पर विशेष जोर।

विषय सी: समाज की परवाह

1. महिला एवं बाल, समाज कल्याण

- सीवर प्रणालियों या सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई को समाप्त करने के लिए पहचानी गई उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ परामर्श और वित्तीय सहायता।
- मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को कम करने और पोषण के स्तर में सुधार के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक टास्क फोर्स नियुक्त किया जाना है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन के लाभ के लिए क्रमशः ₹85,000 करोड़ रुपये, ₹53,700 करोड़ रुपये और ₹9,500 करोड़ रुपये का आबंटन।

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय (जारी)

2. संस्कृति और पर्यटन

- संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा होगा।
- 5 पुरातत्व स्थलों को ऑन-साइट संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
- पर्यटकों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा संग्रहालयों (जैसे कोलकाता का भारतीय संग्रहालय) को फिर से चालू करने और नए संग्रहालयों (जैसे लोथल में समुद्री संग्रहालय) की स्थापना करने की घोषणा की गई।

3. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ हवा के लिए योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन आधारित योजना।
- पुराने और उच्च कार्बन उत्सर्जक बिजली संयंत्रों के लिए, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि उन्हें चलाने वाली उपयोगिताओं को बंद करने की सलाह दी जाएगी, यदि उनका उत्सर्जन पूर्व-निर्धारित मानदंडों से ऊपर है। इस प्रकार खाली की गई जमीन का दूसरा उपयोग किया जा सकता है।

गवर्नेंस और वित्तीय क्षेत्र ऐसे दो स्तंभ हैं जो ऊपरयुक्त तीनों विषयों की देखरेख करेंगे।

गवर्नेंस

- यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि हमारे नागरिक किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त हों करदाता चार्टर को कानून में शामिल करने का प्रस्ताव है।
- कंपनी अधिनियम के मामले में, कतिपय संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जो सिविल स्वरूप के अधिनियमों के लिए आपराधिक दायित्व में सुधार करेगा।
- अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक जिले में,

विशेषकर वांछित जिलों में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा।

- आधिकारिक सांख्यिकी पर प्रस्तावित नई राष्ट्रीय नीति भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए एआई सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी।
- वर्ष 2022 में जी 20 प्रेसिडेंसी की मेजबानी की तैयारी शुरू करने के लिए ₹100 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।
- चयनित क्षेत्रों की फर्मों को सिडबी और एक्विजम बैंक द्वारा ₹100 करोड़ रुपये की योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान और विकास, व्यापार कार्यनीति के लिए प्रारंभिक सहयोग किया जाएगा।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वांगीण विकास को समर्थन देने के लिए क्रमशः ₹30,757 करोड़ रुपये और ₹5,958 करोड़ रुपये की रकम।

वित्तीय क्षेत्र

- स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निजी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को आईडीबीआई बैंक में सरकार की बैलेंस होल्डिंग बेचने का प्रस्ताव।
- पीएफआरडीआई से सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस ट्रस्ट को अलग करने का प्रस्ताव।
- एमएसएमई उद्यमियों के लिए गौण ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जो अर्ध-इक्विटी के रूप में गिना जाता है और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) द्वारा गारंटीकृत किया जाता है।
- सरकारी प्रतिभूतियों तक खुदरा पहुंच की अनुमति देने के लिए मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के साथ नए डेट-ईटीएफ को लॉन्च करने का प्रस्ताव।
- फैक्टर रेगुलेशन एक्ट 2011 में प्रस्तावित संशोधन ताकि एनबीएफसी ट्रेड रेसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीरईडीएस) के माध्यम से एमएसएमई को चालान वित्तपोषण का विस्तार कर सके।

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय (जारी)

- विनियामक की स्वीकृति के साथ, GIFT सिटी, GIFT-IFSC में एक अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित करेगा, जो वैश्विक बाजार सहभागियों को व्यापार के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में होगा।
- सरकार ने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से बेचने का प्रस्ताव किया है।

भाग II: कर प्रस्ताव

ए. प्रत्यक्ष कर

- सरलिकृत और नयी आयकर व्यवस्था। करदाताओं के लिए नयी आयकर व्यवस्था वैकल्पिक है तथा इससे महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।
- डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) को समाप्त कर दिया गया है और इसके अंतर्गत लाभांश कराधान की पारंपरिक प्रणाली अपनायी गयी है, जिससे कंपनियों को डीडीटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाभांश केवल प्राप्तकर्ताओं से लागू दर पर लिया जाएगा।
- बिजली उत्पादन में लगी नई घरेलू कंपनियों को 15 प्रतिशत की रियायती कॉर्पोरेट कर की सुविधा दी गई है।
- उपरोक्त क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी सरकारों और अन्य विदेशी निवेशों के सरकारी धन कोष द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में निवेश के संबंध में ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ आय पर 100 प्रतिशत की कर रियायत।
- उनके लाभ में वृद्धि के 100 प्रतिशत (₹25 करोड़ से ₹100 करोड़ तक टर्नओवर की सीमा में वृद्धि) के माध्यम से स्टार्ट-अप के लिए कर लाभ, कटौती के दावे के लिए पात्रता की अवधि 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने पर विचार हो रहा है- वृद्धि के इंजन के रूप में। इसके अलावा, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) पर कर, स्टार्ट-अप कर्मचारियों

को पांच साल या जब तक वे कंपनी छोड़ देते हैं या जब वे अपने शेयर बेचते हैं, जो भी पहले होता है, तब तक दिया जाएगा।

- सहकारिता के लिए रियायती कर दर - सहकारी समितियों से 22 प्रतिशत के उपर 10 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर लगाया जाएगा जिसमें मौजूदा 30 प्रतिशत दर के साथ-साथ उपकर और अधिभार में कोई छूट/कटौती नहीं की जाएगी। सहकारी समितियों को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से भी छूट दी गई है।
- किफायती आवास को और प्रोत्साहित करने के लिए, कर लाभों से संबंधित समय सीमा का विस्तार (किफायती घर की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर प्रदत्त ब्याज के लिए ₹1,50,000 तक की अतिरिक्त कटौती) किफायती आवास के लक्ष्य को साकार करने के लिए ' सभी के लिए आवास '

बी. अप्रत्यक्ष कर

- उन वस्तुओं के आयात को सीमित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो हमारे एमएसएमई द्वारा बेहतर गुणवत्ता के साथ उत्पादित किए जा रहे हैं। तदनुसार जूते-चप्पल और फर्नीचर जैसी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। मेक इन इंडिया पहल के तहत सावधानीपूर्वक कल्पित चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइलों के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

सी. कर प्रबंधन

- छोटे खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों, दुकानदारों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एमएसएमई के ऑडिट (लेखाकार द्वारा) के लिए टर्नओवर सीमा मौजूदा ₹1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपये हो गई। कम नकदी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ी हुई सीमा केवल उन व्यवसायों पर लागू होती है जो

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय (समाप्त)

अपने लेनदेन का 5 प्रतिशत से भी कम नकदी में कारोबार करते हैं।

- आसान कर अनुपालन के लिए सभी धर्मादाय संस्थानों को विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी करना।
- मानव रहित आकलन के विस्तार में मानव रहित अपील को सक्षम बनाने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन।
- एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए योजना बनायी जाए जिसके अंतर्गत विस्तृत आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता के बगैर आधार की बुनियाद पर पैन को तुरंत ऑनलाइन आबंटित किया जाएगा।
- चिकित्सा उपकरणों के आयात पर स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा। इस आय का उपयोग वांछित जिलों

में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए किया जाना है।

- आयकर विभाग की वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 'करदाताओं के चार्टर' को अपनाने के लिए सीबीडीटी को अनिवार्य करना
- प्रत्यक्ष करों में मुकदमों को कम करने के लिए कोई विवाद नहीं बल्कि विश्वास योजना नहीं- विवाद से विश्वास।
- सरलीकृत जीएसटी रिटर्न 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा। रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित होगी। उपभोक्ता चालान के लिए डायनेमिक क्यूआर-कोड प्रस्तावित है। ग्राहकों को चालान लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद इनाम दिया जाएगा।

अनुबंध II

| एनएसएसएफ से संबंधित वार्षिक धन प्रवाह (₹ करोड़) | | | | |
|---|-------------|----------|-----------|-----------|
| वर्ष | प्राप्तियां | वितरण | निवल उपचय | बकाया |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| 2015-16 | 4,45,974 | 3,39,036 | 1,06,938 | 10,15,225 |
| 2016-17 | 5,16,000 | 3,98,734 | 1,17,266 | 11,32,490 |
| 2017-18 | 5,92,710 | 4,35,596 | 1,57,114 | 12,89,604 |
| 2018-19 | 6,80,021 | 4,68,018 | 2,12,004 | 15,01,608 |
| 2019-20 आरई | 8,28,520 | 5,51,932 | 2,76,588 | 17,78,196 |
| 2020-21 बीई | 8,69,946 | 5,74,009 | 2,95,936 | 20,74,132 |

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

अनुबंध III: राज्यों के बीच करों के आपसी वितरण के मानदंड

| मानदंड | एफसी-XIV | | एफसी-XV | |
|----------------------------|------------|---|------------|---|
| | भारांक | फॉर्मूला (राज्य i का शेयर) | भारांक | फॉर्मूला (राज्य i का शेयर) |
| जनसंख्या 1971 | 17.5 | $POP_{i1971} / \sum_{j=1}^{29} POP_j 1971$ | | |
| जनसंख्या 2011 | 10 | $POP_{i2011} / \sum_{j=1}^{29} POP_j 2011$ | 15 | $POP_{i2011} / \sum_{j=1}^{29} POP_j 2011$ |
| जनसांख्यिकीय कार्यनिष्पादन | | | 12.5 | $DP_i / \sum_{j=1}^{28} DP_j$ [$DP_i = POP_{i1971} / TFR_i$] |
| वन और पारिस्थितिकी | 7.5 | $F_i / \sum_{j=1}^{29} F_j$ $F_i = \text{very dense forest} +$ $\text{moderately dense forest}$ | 10 | $F_i / \sum_{j=1}^{28} F_j$ $F_i = \text{very dense forest} +$ $\text{moderately dense forest}$ |
| आय अंतर | 50 | $D_i / \sum_{j=1}^{29} D_j$ $D_i = \text{distance in per capita}$ $\text{income of } i\text{th state from third}$ $\text{highest state} * POP_{i1971}$ | 45 | $D_i / \sum_{j=1}^{28} D_j$ $D_i = \text{distance in per capita}$ $\text{income of } i\text{th state from third}$ $\text{highest state} * POP_{i2011}$ |
| क्षेत्र | 15 | $Area_i / \sum_{j=1}^{29} Area_j$ | 15 | $Area_i / \sum_{j=1}^{28} Area_j$ |
| कर प्रयास | | | 2.5 | $TE_i / \sum_{j=1}^{28} TE_j$ [$TE = \text{tax ratio} * \text{Population}$] |
| कुल | 100 | | 100 | |

स्रोत: एफसी-IV रिपोर्ट, एफसी-XV अंतरिम रिपोर्ट